UPME010078862026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार मिश्रा–द्वितीय
(उच्चतर न्यायिक सेवा)
<u>प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2080/2026</u>

साहिल पुत्र अनीस, निवासी मकान सं0–454/1 गली सं0–15 नूर इब्राहिम माजिद के पास जाकिर हुसैन कालोनी, मेरठ।

............प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य ....विपक्षी

मुकदमा अपराध सं0–674/2025
अं0धारा–191(2),131,118(1),109(1)
बी0एन0एस0
थाना–लोहिया नगर, जनपद–मेरठ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से.............श्री रविन्द्र कुमार, विद्वान अधिवक्ता
उ0प्र0राज्य की ओर से...................... श्री के0के0चौबे, डी0जी0सी0(क्रिमि0) एवं
श्री अश्वनी गोयल, सहा0डी0जी0सी0(क्रिमि0)
वादी की ओर से..................................प्रमिता चौधरी, विद्वान अधिवक्ता

<u>दिनांक–11.06.2026</u>

1. यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त साहिल की ओर से मुकदमा अपराध सं0–674/2025, अं0धारा–191(2),131,118(1),109(1) बी0एन0एस0, थाना–लोहिया नगर, जनपद–मेरठ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त का शपथ पत्र दाखिल है, जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. पुलिस प्रपत्र में अभियोजन कथन संक्षेप में यह है कि दिनांक 13.11.2025 को समय 14.28 बजे अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के घर में घुस आये और अपने–अपने हाथों में लिए तमंचो व धारदार हथियार से सभी ने एक राय होकर उसके पिता के उपर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया तथा उन्हें खींच कर घर के बाहर ले आये और फिर ताबड़तोड वार किये, जिससे वह मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गये,

जिसकी सूचना 112 पर दी गयी। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके पिता का मेडिकल कराया, जहां से उन्हें रेफर कर दिया गया।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र तथा अपने तर्क में यह कथन किया गया है कि :–

- प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गयी है।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट के विरूद्ध उसकी ओर से माननीय उच्च न्यायालय में याचिका योजित की गयी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दौरान विवेचना उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गयी।
- विवेचक द्वारा मामले में आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध भी उसकी ओर से माननीय उच्च न्यायालय में याचिका योजित की गयी, किन्तु अपरिहार्य कारणवश कथित याचिका को बल न देने के कारण वापस ले लिया गया।
- अभियुक्त पक्ष की ओर से वादी पक्ष के विरूद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है, जिसमें विचारण चल रहा है। उक्त को प्रभावित करने के आशय से यह झूठा मुकदमा लिखाया गया है।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट में डायल 112 पर सूचना देने बताया गया है, किन्तु विवेचक द्वारा डायल 112 की कोई रिपोर्ट का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- चोटहिल का चिकित्सीय परीक्षण पहले सरकारी अस्पताल में कराया गया और उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया, किन्तु चोटहिल द्वारा अपना इलाज एक निजी अस्पताल में कराया गया है।
- प्रस्तुत मामले में चार अभियुक्तों की नामजदगी गलत पायी गयी है।
- मजरूब का कोई एक्सरे रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद नहीं है।
- तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर कथित घटना कारित की गयी है। अभियुक्त की भूमिका व कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6. मैंनें प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा माननीय उच्चतम

न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध केस–डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि मामले में आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है और प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग किया गया है।

8. अभियोजन की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि कथित घटना सी0सी0टी0वी0कैमरे में कैद हुई है, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर कथित घटना कारित करते हुए दर्शित किया गया है।

9. प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। उसके विरूद्ध वादी के पिता मजरूब अहमद पर धारदार हथियार व तमंचों से जान से मारने की नीयत से प्रहार किये जाने के आरोप हैं।

10. मजरूब की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में उसके सिर के पीछे एक कटे हुए घाव की चोट पायी गयी है, जिसे जेरे निगरानी रखा गया।

11. मजरूब की निजी चिकित्सालय की आख्या में उसे दो चोटें आना दर्शित किया गया है तथा उसके सिर के पिछले भाग में फ्रैक्चर होना पाया गया है। चोटों की प्रकृति को गंभीर होना अंकित किया गया है।

12. केस डायरी में डाक्टर हर्षल के बयान का विवरण दिया गया है, जिनके द्वारा कथन किया गया है कि मजरूब के कान के पीछे गंभीर चोट होने के कारण उसे एलएलआरएम में रेफर किया गा।

13. मजरूब द्वारा अपने बयान में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर कथित घटना को कारित किये जाने का कथन किया गया है।

14. चश्मदीद साक्षी फैजान, इकबाल व आरिफ द्वारा अपने–अपने बयानों में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर कथित घटना को कारित किये जाने का कथन किया गया है।

15. स्वतंत्र गवाह वकील, जमील, महबूब व मौ0 नफीस द्वारा अपने–अपने बयानों में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर कथित घटना को कारित किये जाने का कथन किया गया है।

16. केस डायरी में कथित घटना की सी0सी0टी0वी0फुटेज का विवरण दिया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर कथित घटना को कारित किया जाना दर्शित किया गया है।

17. दौरान विवेचना मजरूब की चोटों की प्रकृति के आधार पर इस मामले में से धारा–110 बी0एन0एस0 का लोप करते हुए धारा–109(1) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी।

18. केस डायरी में अभियुक्तगण साहिल, साकिब, सालिब व फैसल के बयान का विवरण दिया गया है, जिनमें द्वारा कथित घटना से इनकार करते हुए सफाई वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना अंकित है।

19. केस डायरी के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि अभियुक्तों की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका योजित की गयी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दौरान विवेचना उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगायी गयी। विवेचक द्वारा मामले में आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध भी उनकी ओर से माननीय उच्च न्यायालय में याचिका योजित की गयी, किन्तु अपरिहार्य कारणवश कथित याचिका को बल न देने के कारण वापस ले लिया गया।

20. उपरोक्तानुसार प्रथमदृष्टया यह परिलक्षित होता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने केवल इस आधार पर गिरफ्तारी पर रोक दी थी कि उस समय अभियुक्तगण के विरूद्ध ऐसे आरोप थे जिनमें 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान था (अर्थात् विवेचना के दौरान गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण दिया गया था), किन्तु वर्तमान में विवेचना के उपरान्त आरोपपत्र में धारा–109(1) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी है।

21. प्रस्तुत मामले में अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। उसके विरूद्ध धारदार हथियार व तमंचे से मजरूब पर प्राणघातक हमला करने का आरोप है। मजरूब की चिकित्सीय परीक्षण आख्या से उसके सिर पर कटे घाव, फ्रैक्चर तथा उसके मर्मस्थल पर गंभीर चोट पायी गयी है। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, मजरूब, चश्मदीद व स्वतंत्र गवाह द्वारा सभी अभियुक्त की सहभागिता का कथन किया गया है। सीसीटीवी फुटेज से कथित घटना में अभियुक्तगण की उपस्थिति/सहभागिता प्रदर्शित होती है। आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जा चुका है, अभियुक्त के विरुद्ध समन/वारंट जारी हैं।

22. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **सत्येन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सी0बी0आई0 एवं अन्य (2022) 10 एस0सी0सी0 51** के वाद में आरोप–पत्र के पश्चात जमानत प्रार्थनापत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुए अपराधों का वर्गीकरण किया गया है, जो इस प्रकार है :–

(A) 7 वर्ष या कम के कारावास से दण्डनीय अपराध, जो संवर्ग ख और ग में नहीं आते।

(B) मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के लिए कारावास से दण्डनीय अपराध।

(C) जमानत के लिए कठोर प्रावधान अन्तर्विष्ट करने वाले विशेष अधिनियमों के अधीन दण्डनीय अपराध जैसे एन0डी0पी0एस0 (धारा–37), पी0एम0एल0ए0 (धारा–45), यू0ए0पी0ए0 {धारा–43–डी(5)}, कम्पनी अधिनियम {धारा–212(6)} इत्यादि।

(D) विशेष अधिनियमों द्वारा आच्छादित न किये गये आर्थिक अपराध।

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार प्रस्तुत मामला **श्रेणी–बी** के अन्तर्गत आता है।

24. अतः मामले के उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा चिकित्सीय आख्या से अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का कोई न्यायोचित एवं न्यायसंगत आधार प्रकट नहीं होते हैं। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त साहिल द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 11.06.2026

(अरविन्द कुमार मिश्रा–द्वितीय)
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
I.D.No.U.P.-6030

S.Rastogi (P.A.)